न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
6 / 8	10.10.2025	05.01.2026

बउनवान

01. सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति–बलाई, निवासी ए–139 मालवीय नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान
02. गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री बनवारीलाल जाति–बैरवा, निवासी–सारंगपुरा तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

01. इन्दर मल मीना पुत्र बनवारी लाल मीना, जाति–मीना निवासी बस स्टैंड ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

अप्रार्थी

02. श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राजस्थान

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2075 के आराजी हाल खसरा नम्बर 3190 / 2387 रकबा 0.0137 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 3193 / 2388 रकबा 0.0982 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 3198 / 3191 रकबा 0.0138 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 3200 / 3194 रकबा 0.0994 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1, कुल किता 4 कुल रकबा 0.2251 हैक्टेयर, वाके ग्राम बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में स्थित हैं, प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी की आराजी है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 3199 / 3191 रकबा 0.0225 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 3201 / 3194 रकबा 0.1624 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1849 हैक्टेयर वाके ग्राम बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में स्थित हैं। जो कि प्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी की आराजी है। खाता संख्या 759 की जमाबन्दी संवत् 2075 के आराजी हाल खसरा नम्बर 3248 / 2378 रकबा 0.1221 हैक्टेयर किस्म चाही खसरा नम्बर 3251 / 2379 रकबा 0.0502 हैक्टेयर किस्म चाही 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1723 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम बीजवाड़, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर में स्थित हैं, जो कि असल अप्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज है, काश्तकारी कार्य किया जाता रहा है तथा प्रार्थीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 3250 / 2379 तथा 3247 / 2378 गैर मुमकिन सड़क से अपने खेतों तक कृषि व संबंधित कार्यो हेतु आने जाने के लिए अप्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 3248 / 2378 एवं खसरा नम्बर 3251 / 2379 के लगती सीमा के सहारे से होकर अब तक आते जाते रहे है। मौके पर मिट्टी व गिट्टी डालकर इस प्रयोजनार्थ लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता भी बनाया हुआ है। जिसका पूर्व से ही प्रयोग किया जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

आराजी को हाल ही में क्रय किया है। जिसके नामान्तरकरण की कार्यवाही होकर अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो चुका है। क्रय करने के पश्चात दिनांक 06.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर ऐलानिया धमकी दी है कि उक्त प्रचलित रास्ते का सिवायचक खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेखों यथा जमाबन्दी, नक्शा इत्यादि में अंकन नहीं है, इसलिए जब तक इसका कानूनी तरीके से राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार अंकन नहीं हो जाता वह हम प्रार्थीगणों को इसका उपयोग नहीं करने देगा। इस प्रकार प्रार्थीगणों के काश्तकारी हितों पर भी दुष्प्रभाव पडना स्पष्ट हो गया है। प्रार्थीगणों द्वारा वांछित रास्ता कृषि कार्यों, कृषि यंत्रों के आवागमन, बोरवैल के लिए मशीनरी के आवागमन, काश्तकारी संबंधी अन्य अनुमत कार्यों व गतिविधियों के लिए अत्यावश्यक हैं। यह भी उल्लेखित है प्रार्थीगण को अपने खेतों तक पहुंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यदि दोनों प्रार्थीगणों द्वारा पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी से पृथक–पृथक रास्ते के लिए आवेदन किया जाता तो इससे अप्रार्थी की अधिक भूमि लेनी पड़ती जबकि इस प्रार्थना पत्र से दोनों प्रार्थीगणों ने अपने–अपने खेतों की लगती सीमा से होकर सम्मिलित रूप से अप्रार्थी की आराजी से 30 फुट चौडे एवं लघुत्तम संभव एवं निकटतम रास्ते का आवेदन किया है, इसमें अप्रार्थी की भूमि तुलनात्मक रूप से रास्ते के लिए कम जायेगी। इसलिए निम्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन करवाया जाना अत्यावश्यक व न्यायसंगत है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वांछित नवीन रास्ते के राजस्व रिकार्ड में अंकन के लिए नियमानुसार देय प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है यदि अप्रार्थी नियमानुसार देय प्रतिकर राशि से कम राशि पर भी बिना विवाद सहमति बनाता है तो तद्नुसार अविलम्ब प्रतिकार राशि अदा करने को प्रार्थीगण तैयार हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार अप्रार्थी के ग्राम बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, उपखण्ड मालाखेड़ा, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3251/2379 में इसकी पूर्वी सीमा से लगता हुआ 15 फीट चौडा व 43 फीट लम्बा ए.बी. सी. डी. और आराजी खसरा नम्बर 3248/2378 में इसकी पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 15 फीट चौडा व 43 फीट लम्बा ई.एफ.जी.एच. नवीन रास्ता (इस प्रकार कुल 30 फीट चौडा व पूर्ण लम्बाई तक ए.बी.ई. एफ.जी.एच.सी.डी.) का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शा इत्यादि में कराये जाने के आदेश/अनुज्ञा यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें जिससे कि प्रार्थीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 3250/2379 तथा 3247/2378 गैर मुमकिन सड़क से अपने खेतों तक कृषि व संबंधित कार्यों हेतु निर्बाध आवागमन कर सके और इससे काश्तकारी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव होने से सुरक्षा प्राप्त हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

पत्रावली मे तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/25/1608 दिनांक–09.12.2025 में निम्नलिखित तथ्य अंकित किये गये है कि :–

01. आराजी खसरा नंम्बर 3193/2388, 3200/3194, 3201/3194 पर पहुँचने हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है तथा मौके पर आ.ख.नं. 3250/2379, 3247/2378 गै. मु. सडक पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज भूमि से लगते हुए ख. नं. 3248/2378 तथा 3251/2379 के लगती सीमा उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता चाहा गया है, एवं वर्तमान में ग्रेवल रोड भी मौके पर प्रार्थी–अप्रार्थी द्वारा डाली हुई है। (अस्थाई रूप से)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

02. उक्त वर्णित भूमि पर कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता दावे मे बताई गई है। परन्तु प्रस्तावित रास्ता वादी गिर्राज प्रसाद के अनुसार बाद में रूपान्तरित करवाए जाने हेतु अवगत कराया गया। अतः दावा पूर्णतः 251ए के तहत पूर्णतः सुखचार हेतु नही है।

03. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग नियमानुसार प्रस्तावित योग्य नही है। फिर भी रास्ता दिया जाए तो 30 फुट के स्थान पर 8 फुट दिया जाना उचित है, क्योकि मात्र एक आराजी ही मात्र मध्य मे आ रही है। सुखाचार हेतु 8 फुट रास्ता ही आवश्यक होगा। जिसका नजरी नक्शा आवेदक द्वारा संलग्न किया गया है, जिसके मौके पर कोई निर्माण नही है तथा भवन, चाह बोरवेल वृक्ष आदि नही है।

04. उक्त प्रस्तावित मार्ग ख.नं. 3251/2379, 3248/2378 के मध्य स्थित मेड के उत्तर से दक्षिण की ओर 4–4 फुट चौडाई (कुल चौडाई 08 फुट) रास्ता प्रस्तावित है, जो बिल्कुल सीधा तथा सबसे लघुत्तम/निकटतम है।

05. उक्त प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थी इन्दरमल मीणा पुत्र बनवारीलाल जाति मीणा निवासी पृथ्वीपुरा ने सहमति 8 फुट के लिए नही दी है। सहमति प्रार्थी गिर्राज प्रसाद एवं अप्रार्थी द्वारा 30 फुट के लिए दी है। परन्तु 8 फुट रास्ता सुखाचार के लिए उचित है। प्रार्थी गिर्राज प्रसाद द्वारा रास्ता 30 फुट के लिए बाद मे रूपान्तरण मुख्य उद्देश्य बताया।

उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा व आपत्ति प्रार्थना पत्र विरूद्ध मौका रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा का भी समग्र अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने कृषि भूमी तक पहुंच आवागमन हेतु अप्रार्थी की आराजी से 30 फुट चौडे नवीन रास्ते के अनुतोष के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इसके पश्चात अप्रार्थी ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो जाने का भी उल्लेख किया है। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विरूद्ध प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने संयुक्त हस्ताक्षरित आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने संयुक्त हस्ताक्षरित आपत्ति प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बरों पर पहुंचने हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र से चाहा गया रास्ता सीधा तथा सबसे लघुत्तम निकटतम है। प्रार्थी व अप्रार्थी ने 30 फुट चौडे रास्ते की सहमति दी है। मौके पर ग्रेवल रोड भी डाली हुई है अर्थात प्रार्थना पत्र से चाहा गया रास्ता 30 फुट चौडाई में प्रचलित है और प्रयोग में भी लिया जा रहा है। वांछित रास्ते के मौके पर 30 फुट चौडाई में न तो कोई व्यवधान है और न ही मुताबिक राजस्व रिकार्ड किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता हैं। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट में केवल 08 फुट रास्ते की अनुशंसा किया जाना विधिसंगत नहीं है क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि कानूनी रूप से 30 फुट चौडाई तक रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। तहसीलदार मालाखेड़ा की मौका रिपोर्ट में तहसीलदार मालाखेड़ा ने इस बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थीगण भविष्य में अपनी कृषि भूमी का रूपान्तरण करवा सकते है तथा प्रार्थीगण के लिए 30 फुट के स्थान पर केवल 08 फुट चौडाई के रास्ता प्रस्तावित किये जाने का क्या कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

आधार है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड व मौके के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251.क के प्रावधानों के तहत् 30 फुट चौडाई का रास्ता स्वीकृत करने से कानूनी आधार पर किस प्रकार से अनुतोष प्रदान करने से इंकार किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी और अप्रार्थीगण 30 फुट चौडाई के रास्ते पर सहमत है तथा यह भी उल्लेखित है कि स्वीकृत रास्ते का अंकन सिवायचक खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में किया जायेगा जिससे राज्य सरकार के हितों का संवर्द्धन होगा। इस प्रकार समग्र रूप से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251.क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करने योग्य पाया जाता है और मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को वांछित नवीन रास्ते का तथा वांछित रास्ते की 30 फुट चौडाई का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मालाखेडा को आदेश है कि ग्राम बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3251/2379 में इसकी पूर्वी सीमा से लगता हुआ 15 फीट चौडा व सार्वजनिक निर्माण विभाग के आराजी खसरा नम्बर 3250/2379 से प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 3200/3194 तक पूर्ण लम्बाई तक लम्बा और आराजी खसरा नम्बर 3248/2378 में इसकी पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 15 फीट चौडा व सार्वजनिक निर्माण विभाग के आराजी खसरा नम्बर 3247/2378 से प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 3201/3194 तक पूर्ण लम्बाई तक नवीन रास्ता (इस प्रकार कुल 30 फीट चौडा व पूर्ण लम्बाई तक) का रास्ता कायम किया जावें एवं इस आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी और नक्शा इत्यादि में नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते के रूप में सिवायचक के रूप में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)